न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान सफी खां बनाम राजस्थान सरकार
वाद संख्या – 39 /2025
निर्णय दिनांक 16/6/2025

सफी खां पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1332 खसरा सं. 587 तादादी 1.9853 हैक्ट., खसरा नं. 859 तादादी 4.6534 हैक्ट. कुल खसरे 02 की कुल तादादी 6.6387 हैक्ट. में वादी खातेदार काश्तकार है, खाता संख्या 744 के खसरा नं. 604 तादादी 6.2340 हैक्ट. में हिस्सा 2/15 का सह खातेदार काश्तकार है एवं खाता संख्या 55 खसरा नं. 3191/1441 तादादी 7.2582 हैक्ट. में हिस्सा 10/287 का सह खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि खाता संख्या 1332 खसरा सं. 587 तादादी 1.9853 हैक्ट., खसरा नं. 859 तादादी 4.6534 हैक्ट. कुल खसरे 02 की कुल तादादी 6.6387 हैक्ट. की जमाबंदी रोही साहवा तहसील तारानगर में वादी का नाम सफी खां पुत्र सुभान खां की जगह सफी मोहम्मद पुत्र सुभान, खाता संख्या 744 के खसरा नं. 604 तादादी 6.2340 हैक्ट.में सफी खां पुत्र सुभान खां की जगह शफी मोहम्मद पुत्र शुभान और खाता संख्या 55 खसरा नं. 3191/1441 तादादी 7.2582 हैक्ट. में सफी खां पुत्र सुभान खां की जगह सफीमोहम्मद पुत्र सुभानखां गलत दर्ज हो गया। जबकि वादी का सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनआधार, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड में सही नाम सफी खां पुत्र सुभान खां है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1332 खसरा सं. 587 तादादी 1.9853 हैक्ट., खसरा नं. 859 तादादी 4.6534 हैक्ट. कुल खसरे 02 की कुल तादादी 6.6387 हैक्ट. में वादी खातेदार काश्तकार है, खाता संख्या 744 के खसरा नं. 604 तादादी 6.2340 हैक्ट. में हिस्सा 2/15, खाता संख्या 55 खसरा नं. 3191/1441 तादादी 7.2582 हैक्ट. में हिस्सा 10/287 में वादी का नाम सफी खां पुत्र सुभान खां किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम शफी मोहम्मद पुत्र शुभान, सफीमोहम्मद पुत्र सुभानखां, सफी मोहम्मद पुत्र सुभान व सफी खां पुत्र सुभान खां तीनो नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया।

वादी की ओर से जगदीश प्रसाद पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी साहवा तारानगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड फोटोप्रति स्वप्रमाणित की गई। साक्ष्य प्रतिवादी नही कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वाद के कथनों पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक व राशन कार्ड में वादी का नाम सफी खां पुत्र सुभान खां पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनआधार, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में वादी का नाम सफी खां पुत्र सुभान खां पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मोहम्मद पुत्र शुभान, सफीमोहम्मद पुत्र सुभानखां व सफी मोहम्मद पुत्र सुभान अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1332 खसरा सं. 587 तादादी 1.9853 हैक्ट., खसरा नं. 859 तादादी 4.6534 हैक्ट. कुल खसरे 02 की कुल तादादी 6.6387 हैक्ट., खाता संख्या 744 के खसरा नं. 604 तादादी 6.2340 हैक्ट. व खाता संख्या 55 खसरा नं. 3191/1441 तादादी 7.2582 हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम क्रमशः **सफी मोहम्मद पुत्र सुभान, शफीमोहम्मद पुत्र शुभान व सफी मोहम्मद पुत्र सुभानखां** **Delete** कर इसके स्थान पर **सफी खां पुत्र सुभान खां** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...16/6/25... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)